न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।

नियमित जमानत आवेदन सं0– 175/2026

आदेश

23.06.2026 यह नियमित जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त किसान यादव की ओर से दाखिल किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 334(1), 303(2) के अधीन दर्ज संझौली थाना कांड संख्या 66/2026 में दिनांक 06.04.2026 से कारा में है तथा उक्त वाद वर्तमान में श्री दीपक कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर कुमार कमल को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक हरेराम पाण्डेय ने लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया है कि वह ग्राम जिगनी स्थित महावीर मंदिर का कई वर्षों से देख–रेख एवं साफ–सफाई करता है। दिनांक 21.03.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर का ताला काटकर गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान के चांदी एवं सोने के आभूषण, दान पेटी का पैसा, पीतल की घंटी, झाल, साउंड सिस्टम आदि चोरी कर लिया गया था। सूचक द्वारा कुल चोरी गए सामानों में चांदी का गदा, मुकुट, पैजनी, बाजूबंद, चरण पादुका, सोने का तिलक एवं कान के कुंडल आदि का उल्लेख किया गया है। अभियोजन के अनुसार घटना अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि में कारित की गई है।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, पटना या सत्र न्यायालय में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। उसका नाम इस वाद के सह अभियुक्त रितेश पाण्डेय के दोषस्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं बनता है। अभियोजन का वाद झूठा एवं मनगढ़ंत है। आवेदक अभियुक्त के सचेतन कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 06.04.2026 से कारा में है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा कहा है कि इस वाद के सह अभियुक्त रितेश पाण्डेय के दोषस्वीकारोक्ति बयान में आवेदक अभियुक्त का नाम महावीर मंदिर से जेवरात की चोरी की घटना में शामिल रहने वाले अभियुक्त के रूप में आया है। आगे विद्वान अपर लोक

लगातार
23.06.2026
अभियोजक का कथन है कि प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का गठन नहीं हुआ है। वाद के वर्तमान प्रक्रम में आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने से इस वा का विचारण प्रभावित हो सकता है। अतः उन्होंने वाद के वर्तमान प्रक्रम में आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक अभियुक्त के अनुसार अभिलेख पर उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस वाद के सह अभियुक्त रितेश पाण्डेय के दोषस्वीकारोक्ति बयान में आवेदक अभियुक्त का नाम महावीर मंदिर से जेवरात की चोरी की घटना में शामिल रहने वाले अभियुक्त के रूप में आया है। चुराए गए जेवरात की सह अभियुक्त के कब्ज से बरामदगी की बात कही जाती है। इस वाद में अभियुक्तों के द्वारा महावीर मंदिर से भगवान के चांदी एवं सोने के आभूषण, दान पेटी का पैसा, पीतल की घंटी, चांदी का गदा, मुकुट, पैजनी, बाजूबंद, चरण पादुका, सोने का तिलक एवं कान के कुंडल आदि के चोरी करने की बात कही जाती है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध अभी आरोप का गठन नहीं हुआ है। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने वाद के वर्तमान प्रक्रम में आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने से वाद के विचारण के प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथनों पर विचार करने के पश्चात वाद के वर्तमान प्रक्रम में मैं आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।